



सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय,

University,

लोक भवन, जयपुर - 302006

Lok Bhavan, Jaipur

क्रमांक : एफ.43(2)आरबी / 2023 / 4899

दिनांक : 22 अगस्त, 2026

आदेश

लोक भवन के आदेश क्रमांक एफ.43(2)आरबी / 2023 / 5058-59, दिनांक 25.09.2023 के माध्यम से प्रो. अनिल कुमार राय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का कुलगुरु नियुक्त किया गया था।

प्रो. अनिल कुमार राय, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर द्वारा पत्र दिनांक 20.08.2026 के माध्यम से, ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली, उत्तर प्रदेश में कुलपति के पद पर चयन होने के कारण पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलगुरु पद से दिनांक 23 अगस्त, 2026 अपरान्ह से त्यागपत्र स्वीकार करते हुए कार्यमुक्त किये जाने हेतु निवेदन किया है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित) की धारा 11(11) व 11(12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रो. अनिल कुमार राय, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर को उनके निवेदनानुसार दिनांक 23 अगस्त, 2026 अपरान्ह से त्यागपत्र स्वीकार करते हुए कार्यमुक्त करता हूँ।

हस्ता॥

(हरिभाऊ बागड़े)

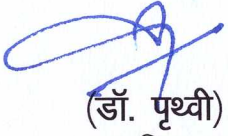
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.43(2)आरबी / 2023 / 4900

दिनांक : 22 अगस्त, 2026

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. अनिल कुमार राय, कुलगुरु, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
6. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. पृथ्वी)

सचिव,

राज्यपाल राजस्थान